भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2799

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उन्नति योजना

2799. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन्नति योजना के लिए इसकी शुरुआत से अब तक कितने पंजीकरण प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त योजना के तहत इसकी शुरुआत से अब तक लाभार्थियों की संख्या कितनी है और संवितरित की गई धनराशि का घटकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत नई इकाइयां स्थापित करने हेतु लाभार्थियों का अनुपात क्या है तथा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना की प्रभावकारिता और इसके शुरू होने से अब तक इसके द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) के तहत पहले से कवर की गई इकाइयों को पूर्वव्यापी रूप से कवर करने के लिए प्रावधान किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उन्नति स्कीम के तहत 279 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 56 इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(ख): इस स्कीम के तहत औद्योगिक इकाइयों को कोई निधि संवितरित नहीं की गई है, क्योंकि अभी पंजीकृत इकाइयों द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने बाकी हैं।

(ग): उन्नति स्कीम के तहत पंजीकृत कुल 56 आवेदनों में से 49 नई इकाइयां हैं और 7 इकाइयां पर्याप्त विस्तार करने वाली श्रेणी में आती हैं।

(घ): जी, नहीं।

(ङ) और (च): पूर्वव्यापी रूप से कोई लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि, एनईआईडीएस, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करने वाली कोई भी इकाई, अधिसूचित पात्रता मानदंडों के आधार पर विस्तार करने वाली इकाई के रूप में उन्नति स्कीम के तहत आवेदन कर सकती है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, 5 इकाइयों (जो एनईआईडीएस के अंतर्गत भी कवर होती हैं) को पर्याप्त विस्तार करने वाली इकाइयों की श्रेणी के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है।

*****